व्यवहार न्यायालय, सिवान

न्यायालय रामायन राम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय–सह–विशेष न्यायाधीश (एम.पी. एवं एम.एल.ए.), सिवान

सत्र वाद सं. 168/2021

दिनांक 30वीं मार्च, 2022

आदेश

1. प्रस्तुत सत्र वाद विचारणीय अभियुक्त 1 लक्षमण सिंह, 2 दीपक कुमार सिंह, 3 जय नारायण सिंह के विरुद्ध विचारण वास्ते दौरा–सुपूर्दगी के पश्चात् आरोप–गठन कर अग्रिम कार्यवाई एवं निस्तारण वास्ते दिनांक 06.04.2021 को प्राप्त हुआ है। वाद विचारण एवं आरोप–गठन के विरूद्ध पर सुनवाई के क्रम में अभियुक्तों की ओर से धारा 227 तथा 228 द.प्र.सं. का आवेदन दिनांक 22.03.2022 को दिया गया है। जिसकी एक प्रति अभियोजन को अदा किया गया है।

2. प्राथमिकी में दर्ज काण्ड का संक्षिप्त सारांश यह है कि सूचक मुख्तार सिंह ग्राम निखतीकला, थाना रघुनाथपुर दिनांक 25.09.2014 को थाना रघुनाथपुर में एक आवेदन कांड के सारांश का विवरण देते हुए आवेदन दिया है कि सूचक मुख्तार सिंह, पे. स्व. रामधारी सिंह, सा. निखतीकला, थाना रघुनाथपुर, जिला सिवान समय करीब 09:00 बजे सुबह अपने घर पर था कि मालू महुआ की जमीन को लेकर 1 लक्षमण सिंह, 2 दीपक कुमार सिंह, 3 जय नारायण सिंह सूचक के भाई कामेश्वर सिंह तथा धनंजय सिंह के साथ वाता–बाती करने लगे। जब सूचक उस स्थान पर पहुॅचा तो अभियुक्तगण उग्र हो गये तथा सूचक के साथ गाली–गलौज करने लगे तथा लक्ष्मी सिंह हाथ में लिये लाठी से जान मारने की नियत से सिर पर मारा, जिससे सूचक के भाई कामेश्वर सिंह जख्मी होकर गिर गये। इतने में दीपक कुमार सिंह हाथ में लिये गड़ासी चलाने लगे, जो धनंजय सिंह एवं कामेश्वर सिंह के सिर एवं पीठ में लगा तथा कन्धा पर भी चलाया तो जख्मी होकर गिर गये। जय नारायण सिंह ललकार कर हुकुम दे रहे थे कि सभी लोगों को जान से मार दो। हल्ला सुनकर अगल–बगल के लोग आये तो धनंजय सिंह के गले से सोने का चैन खींचकर वे लोग भाग गये। सूचक जख्मी भाई कामेश्वर सिंह तथा धनंजय सिंह को लेकर थाना रघुनाथुपर आकर थाना को लिखित सूचना दिये है।

3. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सूचक के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी रघुनाथपुर थाना काण्ड सं. 178/2014 दिनांक 25.09.2014 धारा 341,323,324,307,379,504 एवं 506 भा.द.वि. में दर्ज किया गया है। आवेदकगण को सूचक ने झूठा फंसाया है। उनका यह भी तर्क है कि रघुनाथपुर थाना के अनुसंधानकर्ता ने जय नारायण सिंह अभियुक्त/आवेदक को काण्ड में संलिप्तता

को नहीं पाया है तथा काण्ड कारित करने के आरोप में अभिरक्षा में नहीं लिया है। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधानोंपरान्त केवल दो अभियुक्त लक्ष्मण सिंह तथा दीपक कुमार सिंह के विरूद्ध अंतिम आरोप पत्र समर्पित किया है, जिस आधार पर उक्त दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों के बयान, वाद दैनिकी, जख्म प्रतिवेदनों में आवेदक/अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य धाराओं के अलावे धारा 307 भा.द.वि. काण्ड कारित करने का कोई आधारभूत सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। उचित आदेश का निवेदन करते है।

4. दूसरी तरफ अभियोजन का कथन है कि आवेदकगण/अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित धारा 341,323,324,307,379,504 एवं 506/34 भा.द.वि. में प्राथमिकी सं. 178/14 दिनांक 25.09.2015 को सूचक के लिखित बयान के आधार पर थाना प्रभारी रघुनाथपुर द्वारा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् अनुसंधान का प्रभार अर्जुन प्रसाद सिंह (पु.अ.नि.) को दिया गया है। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधानोंपरान्त काण्ड को सत्य पाकर धारा 341,323,324,307,379,504 एवं 506/34 भा.द.वि. में अंतिम प्रपत्र सं. 126/2015 दिनांक 31.07.2015 को समर्पित किया गया है, जिस आधार पर तथा अभिलेख अवलोकन पश्चात् अभियुक्तों के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक, अष्टम्, सिवान के न्यायालय के द्वारा उपरोक्त धाराओं में संज्ञान दिनांक 28.09.2016 को लिया गया है। काण्ड की धारा 307 भा.द. वि. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उक्त परिस्थितियों में वाद को दौरा–सुपूर्द किया है, जो इस न्यायालय में आरोप के गठन पर सुनवाई वास्ते नियत है।

5. उभय पक्षों को सुना। बचाव पक्ष के तर्कों का भी ख्याल रखा गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक मुख्तार सिंह के लिखित बयान के आधार पर दिनांक 25.09.2014 को रघुनाथपुर थाना प्रभारी के अनुसंधान पर अभियुक्तों/आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी सं. 178/2014 धारा 341,323,324,307,379,504 एवं 506 भा.द.वि. निबंधित किया गया है। निबंधन के पश्चात् अनुसंधान का प्रभारी अर्जुन प्रसाद सिंह (पु.अ.नि.) को दिया गया है। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधानोंपरान्त काण्ड को सत्य पाकर आवेदक/अभियुक्त को 1 लक्ष्मण सिंह को फरार दर्शाते हुए अभियुक्त 1 दीपक कुमार सिंह एवं 2 जय नारायण सिंह के विरूद्ध अंतिम आरोप पत्र से 126/2015 दिनांक 31.07.2015 समर्पित किया है। उक्त समर्पित अंतिम आदेश तथा काण्ड दैनिकी के अवलोकन पश्चात् विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दशम्, सिवान के न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान उपरोक्त धाराओं में बनता पाकर दिनांक 28.09.2016 को लिया गया है। वाद दौरा सुपूर्दगी पश्चात् वाद की अग्रिम कार्यवाई वास्ते इस न्यायालय को दिनांक 06.04.2021 को प्राप्त हुआ है।

6. अभिलेख अवलोकन, उभय पक्ष के तर्कों के सुनने, वाद दैनिकी को अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी की कंडिका सं. 04 पर सूचक मुख्तार सिंह का पुनः बयान दर्ज है। कंडिका 07 पर जख्मी कामेश्वर सिंह का बयान, कंडिका 08 पर जख्मी धनंजय सिंह का बयान, कंडिका 21 पर स्वतंत्र साक्षी सर्वनाथ चौबे का बयान, कंडिका 22 पर स्वतंत्र साक्षी अरूण दूबे का बयान, कंडिका 23 पर साक्षी

अनिल सिंह का बयान, कंडिका 24 पर साक्षी अरूण कुमार सिंह का पुनः बयान, कंडिका 29 पर जख्म प्रतिवेदन का विवरणी जख्म प्रतिवेदन सहित, कंडिका 36 पर पुलिस निरीक्षक का प्रतिवेदन काण्ड कारित करने के समर्थन को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त सामग्रियों के अलावे जख्मियों का चिकित्सक विवरणी अभिलेख पर उपलब्ध है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख अवलोकन के पश्चात् आवेदक/अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप का गठन कर विचारण करने वास्ते पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है।

अतः आवेदक/अभियुक्तों की ओर से दाखिल धारा 227 एवं 228 द.प्र.सं. के आवेदन को आधारहीन तथा बलहीन पाकर **खारिज** किया जाता है। सभी अभियुक्तगण सदेंह उपस्थित रहें। दिनांक 23.04.2022 को आरोप गठन हेतु।

लेखार्पित

(रामायन राम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
–सह–विशेष न्यायाधीश (एम.पी. एवं एम.एल.ए.)
व्यवहार न्यायालय, सिवान।
दिनांक 30.03.2022